XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

27-11-2011

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व विविध वाद संख्या–192/2010

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0)

श्री कान्त लाल उरांव, पिता–स्व0 एतवारी उरांव, साकिन–बेतौना, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ............

आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार..................

विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा अपनी पुत्री के शादी एवं अपने इलाज हेतु मौजा–बेतौना, थाना नं0–232, खाता नं0–164, खेसरा नं0–653, रकवा–0.53 एकड़ जमीन बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (G) अन्तर्गत बिकी करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उनको अपने नाना से प्राप्त है। आवेदक के नाना स्व0 चमरू उरांव को कोई भी पुत्र नहीं था, मात्र दो पुत्री ही थी। आवेदक के नाना के पास कुल रकवा 11.22 1/6 एकड़ जमीन हिस्से में था, जिसमें दोनों पुत्री को बहिस्सा बराबर होने पर आवेदक के माँ के हिस्से में 5.61 एकड़ भूमि पड़ता है। आवेदक तीन भाई से है। आवेदक के माँ के मरणोपरान्त आवेदक अपने तीनों भाई के बीच खानगी बंटवारा करने के पश्चात आवेदक के हिस्से में 1.87 एकड़ जमीन पड़ता है, जिसमें से 0.53 एकड़ जमीन बिकी करना चाहता है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, कसबा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, कसबा ने अपने पत्रांक 636, दिनांक 08.06.2010 द्वारा जाँच प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को भेजा गया था, जो अभिलेख के साथ संलग्न है, जिसमें प्रतिवेदित है कि :–

आवेदक के पास कुल धारित भूमि का ब्यौरा :

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	हिस्सा
बेतौना	232	164	653, 663, 664, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 709, 711, 712	18.74	9.37 नाना के हिस्से
		35		1.16 1/2	नानी के नाम से

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

		43	733	1.00	0.33 1/3 नाना के हिस्से
		106	700	1.06	0.35 1/2 नाना के हिस्से
				कुल :	**11.22 1/6 एकड़**

आवेदक कान्त लाल उरांव के स्व0 नाना चमरू उरांव को कोई पुत्र नहीं है, केवल दो पुत्रियाँ क्रमशः पलको देवी एवं आवेदक की माँ डुबकी देवी थी, जो दोनों स्वर्गीय है। इस प्रकार आवेदक के माँ के हिस्से में 5.61 एकड़ भूमि होता है। आवेदक तीन भाई-- संत लाल उरांव, कन्त लाल उरांव एवं मंथ लाल उरांव है। फलतः आवेदक कन्त लाल उरांव के हिस्से में $\frac{5.61}{3}$ = 1.87 एकड़ जमीन होता है। लगान वर्ष 2009-10 तक भुगतान है।

बिक्री की जानेवाली भूमि का ब्यौरा :

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
बेतौना	232	164	653	0.53 डिसमिल

प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 1.87--0.53 त्र 1.34 एकड़ भूमि बच जाती है, जिससे वे भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है।

प्रश्नगत जमीन आवेदक के दखल--कब्जा में, जिसका जमाबन्दी उसके नाना के नाम है। खानगी बंटवारा के आधार पर आवेदक के दखल में है।

प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार, भूदान, भू-हदबन्दी एवं स्वत्ववाद से मुक्त है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी पुत्री की शादी करने एवं अपने इलाज हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ